न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 87–दो/1990 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20.4.1990 पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 95/1985–86

1– श्रीमती जावित्री (मृतक) पुत्री महाराज सिह
बेओलाद फोत वारिस केता
2– रामवीर पुत्र सभाराम, निवासी
अरदोनी तहसील व जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1–सालिगराम पुत्र शॅकर सिंह
ग्राम अरदोनी तहसील मुरैना
2–नारायण (मृतक) पुत्र गेंदालाल
वारिस
1. जनकसिंह
2. बहादुर सिंह
3. बासुदेव सिंह
4. मानसिंह चारों पुत्र नारायण
5. सुश्री मुन्नीवाई पुत्री नारायण
3– हरीसिंह पुत्र गेंदालाल
दोनों निवासी ग्राम बमरौली
तहसील व जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक –1,3 के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक–2 के वारिसान के अभिभाषक श्री सी.एम.गुप्ता)

आ दे श

(आज दिनांक 20–10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 95/1985–86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.04.1990 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ *प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अरदौनी स्थित भूमि सर्वे* क्रमांक 736 रकबा एक वीघा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) मृतक दाताराम एंव गेंदालाल के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर थी, जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक क्रमांक 1 ने अपने जीवनकाल में आवेदक क्रमांक-2 को विक्रय कर दी। इसी पर अधिपति कृषक घोषित करने हेतु अनावेदक सालिगराम, नारायण एंव हरीसिंह ने तहसील न्यायालय मुरैना में दावा दायर किया जो तहसील न्यायालय नायव तहसीलदार मुरैना में प्रकरण क्रमांक 21/83-84X110,190 पर दर्ज होकर आवेदकगण को आदेश दिनांक 26-9-84 से अधिपति कृषक घोषित किया गया । इसके वाद अनावेदक ने म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत दावा दायर किया जो प्रकरण क्रमांक 18/83-84 अ-46 पर पंजीबद्ध हुआ तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27-6-1985 से अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हुआ। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 39/1984-85 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 31.12.1985 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 95/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.4.1990 से अपील अस्वीकार की । इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम अरदौनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 736 रकबा एक वीघा के सम्बन्ध में तहसील न्यायालय में मूल दावा यह लगाया गया है कि इस भूमि के पूर्व भूमिस्वामी दाताराम एंव गेंदालाल ने (तहसील न्यायालय में दावा प्रस्तुत वर्ष 83-84 के) 12-13 वर्ष पूर्व 5 रू. लगान लेकर जुतवा दिया था तब से इस भूमि पर निरन्तर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं आवेदक का यह दावा नायव तहसीलदार मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21/83-84X110,190 में पारित आदेश दिनांक 26-9-84 से प्रमाणित होना पाया गया है, जिसे लगभग 31 का अंतराल हो चुका है। भले ही आवेदक क्र-2 यह तथ्य बता रहा है कि उसने वादग्रस्त भूमि आवेदक क्र-1 से क्रय की है किन्तु क्रय उपरांत उसे वादग्रस्त भूमि में वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो विक्रय के समय विक्रेता को थे अर्थात विक्रय दिनांक को वादग्रस्त भूमि सिकमी कास्त अधीन थी, जो नायव तहसीलदार मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21/83-84X110,190 में पारित आदेश दिनांक 26-9-84 से प्रमाणित है । आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष प्रकरण क्रमांक 39/1984-85 अपील में भी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य सावित नहीं कर सके, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 31.12.1985 पारित करते समय अपील को सारहीन मानकर निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-6-85 को यथावत् रखा है। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 95/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.4.1990 में विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि

अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 31.12.85 में एंव नायव तहसीलदार मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 27-6-85 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण उन्होंने अपील में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 95/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20 अप्रेल 1990 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर